न्यायालय – अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश संख्या 02 किशनगढबास
इजराय प्रार्थना पत्र संख्या 64/2018
माधवी बनाम विमल वगैरहा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	
24.08.2026	डिक्रीदार व मदयूनान के अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी/मदयून संख्या 15(सी) विक्रम शर्मा की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांकित 13.07.2026 पर बहस उभयपक्ष सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/मदयून संख्या 15 (सी) का बहस के दौरान यह तर्क रहा है कि न्यायालय के समक्ष हस्तगत इजराय लंबित चल रही है जिसमें आदेश दिनांक 21.08.2023 के द्वारा आराजी खसरा नंबरान 2329, 2330, 2331, 2336, 2337, 2338, 2339, 2345 ग्राम चकनासराबाद खैरथल को कुर्क करने के आदेश दिये गये थे जिसे तहसीलदार खैरथल द्वारा दिनांक 12.02.2024 को कुर्क किया गया है। दौराने इजराय जगदीश प्रसाद गुप्ता विक्रेता द्वारा आराजी खसरा नंबर 2337 में से दिनांक 29.06.2026 को क्रेता विजय लक्ष्मी, प्रताप सिंह व रविकांत के पक्ष में बयनामा पंजीबद्ध कराये गये है जबकि डिक्रीदार के पूर्व अधिवक्ता श्री परमानंद शर्मा द्वारा उपपंजीयक खैरथल को एक रजिस्टर्ड नोटिस दिनांक 24.03.2026 को उक्त आराजी में से कोई बयनामा पंजीबद्ध नहीं कराये जाने हेतु प्रेषित किया गया था लेकिन इसके बावजूद भी उपपंजीयक तिजारा द्वारा आराजी खसरा नंबर 2337 पर स्थगन आदेश प्रभावी होने के बावजूद भी विक्रेता जगदीश प्रसाद गुप्ता द्वारा क्रेतागण के पक्ष में 3 बयनामें पंजीबद्ध करा दिये गये और उन पर धारा 39 का नोट अंकित करवा दिया गया। प्रार्थी ने उक्त खसरा नंबरान की न्यायालय द्वारा कुर्की एवं स्थगन आदेश होना बताते हुए क्रेतागण को निर्माण करने से मना किया तो उन्होंने किसी प्रकार के कोई कुर्की आदेश व स्थगन आदेश को मानने से इंकार कर दिया। मौका कमिश्नर रिपोर्ट के अनुसार भी विवादित भूखण्ड पर पडत भूमि दिखाई हुई है, चूंकि माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेशों की पालना में उक्त इजराय का निस्तारण न्यायालय द्वारा किया जाना शेष है। ऐसी स्थिति में उपपंजीयक खैरथल एवं उपपंजीयक मुण्डावर को पाबंद किया जावे कि वे भविष्य में उपरोक्त खसरा नंबरान की भूमि के संबंध में कोई बयनामा पंजीबद्ध नहीं करें तथा अपने तर्कों के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया गया– Dr. D. Karunakar Reddy, vs Sri G. Sandeep on 5 june 2024,	

लगातार.....	Contempt Case no. 1154 of 2023 जबकि विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी/मदयूनान गिरीश शर्मा का बहस के दौरान यह तर्क रहा है कि ग्राम दांतला में स्थित उपरोक्त खसरा नंबरान की भूमि उक्त इजराय से संबंधित नहीं है। ऐसी स्थिति में खसरा नंबरान 388, 389, 397 ग्राम दांतला के संबंध में कोई स्थगन आदेश जारी नहीं किये जाने की प्रार्थना की है। अंत में प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया। सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि हस्तगत इजराय माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित डिक्री दिनांक 01.09.2003 की पालना में माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष दिनांक 26.09.2011 को पेश की गयी जो माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा आर्बिटेशन अवार्ड दिनांक 19.06.1976 में उल्लेखित **जय भारत ऑयल मिल की संपत्तिया** जिला खैरथल में स्थित होने के कारण उक्त इजराय न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, संख्या–1 किशनगढबास के यहां जरिये डाक दिनांक 27.11.2015 को प्राप्त हुई जो कालांतर में अंतरित होकर इस न्यायालय को दिनांक 07.03.2018 को प्राप्त हुई है। चूंकि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने एस.बी सिविल रिट पिटिशन संख्या 8258/2017 में पारित आदेश दिनांक 30.10.2017 की पालना में इस न्यायालय द्वारा जांच रिपोर्ट दिनांक 30.11.2018 को बनायी गयी है जिसके अनुसार खसरा नंबरान 2329, 2330, 2331, 2336, 2337, 2338, 2339, 2345 जयभारत ऑयल मिल की परिसंपत्तियां होने तथा आर्बिटेशन अवार्ड दिनांक 19.06.1976 का भाग होना माना गया है तथा इस न्यायालय के आदेश की पालना में तहसीलदार भू अभिलेख खैरथल के पत्र क्रमांक भू.अ/2024/222 दिनांक 15.02.2024 द्वारा उक्त आठों खसरा नंबरान की भूमि को राजस्व रिकॉर्ड की स्थिति के अनुसार वर्तमान मौके की स्थिति दर्शाते हुए फर्द कुर्की रिपोर्ट तैयार की गयी है। चूंकि इस न्यायालय में माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्देशों की पालना में हस्तगत इजराय की अनुपालना कराये जाने की कार्यवाही चल रही है। उपरोक्त खसरा नंबरान की आराजी के संबंध मे भू.अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र चकनासराबाद	

खैरथल द्वारा जारी जमाबंदियों की प्रतिलिपिया पत्रावली में संलग्न हो रही है जिनमें अंकित तथ्यों के अनुसार माननीय रजिस्ट्रार जनरल उच्च न्यायालय कलकत्ता जीएन नंबर 2922/15 ईसी नंबर 390/11 माधवी आलुहवालिया बनाम विमल कुमार गुप्ता कार्यालय तहसीलदार खैरथल के आदेश क्रमांक भू.अ/2015/657–58 दिनांक 14.12.2015 का स्थगन का नोट अंकित किया हुआ है। इसी प्रकार दूसरा स्थगन नोट न्यायालय राजस्व मण्डल, अजमेर का टी.ए/6140/2014 निर्णय दिनांक 30.04.2015, उपतहसीलदार खैरथल भू. अ/2015/390/दिनांक16.07.2015 का अंकित हो रहा है।

इस प्रकार उपरोक्त खसरा नंबरान पर माननीय रजिस्ट्रार जनरल उच्च न्यायाल कलकत्ता एवं राजस्व मण्डल अजमेर का स्थगन आदेश प्रभावी है। इसके अतिरिक्त माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेशों की पालना में उक्त खसरा नंबरान के संबंध में हस्तगत इजराय लंबित चल रही है। प्रार्थना पत्र के साथ दिनांक 26.06.2026 को पंजीबद्ध कराये गये तीनों रजिस्टर्ड बयनामों की प्रतिलिपि संलग्न की हुई है जिसमें अंकित तथ्यों के अनुसार विक्रेता जगदीश प्रसाद गुप्ता द्वारा विवादित खसरा नंबर 2337 में स्थित आराजी का विक्रय करके क्रेतागण विजय लक्ष्मी, प्रताप सिंह व रविकांत के पक्ष में बयनामा पंजीबद्ध कराये गये है इसमें नियम 39 का इस आशय का नोट भी अंकित हो रहा है कि –

"उक्त विक्रित आराजी खसरा नंबर पर वाद/स्थगन विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन है। इस बाबत क्रेता/विक्रेता दोनों को अवगत कराया गया, किंतु दोनों पक्षकार दस्तावेज पंजीबद्ध कराने हेतु आमदा रहे।"

उक्त बयनामें पर उपपंजीयक तिजारा के मयसील हस्ताक्षर किये हुए है।

इस प्रकार उपपंजीयक तिजारा को यह जानकारी थी कि उक्त भूमि पर माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय व राजस्व न्यायालय के स्थगन आदेश प्रभावी है इसके बाद भी उपपंजीयक तिजारा द्वारा अपने क्षेत्राधिकार के बाहर स्थित आराजी का बयनामा पंजीबद्ध किया गया है जबकि प्रार्थी के पूर्व अधिवक्ता स्व. परमानंद शर्मा ने उक्त खसरा नंबरान में स्थित आराजी का बयनामा पंजीबद्ध नहीं किये जाने

	हेतु उपपंजीयक खैरथल को एक रजिस्टर्ड नोटिस दिनांक 24.03.2026 को दिया जाना बताया गया है। चूंकि खसरा नंबरान 2329, 2330, 2331, 2336, 2337, 2338, 2339, 2345 वाके ग्राम चकनासराबाद खैरथल की आराजी के संबंध में इजराय याचिका इस न्यायालय में लंबित चल रही है और उक्त खसरा नंबरान की भूमि की तहसीलदार भू अभिलेख जिला खैरथल के पत्र क्रमांक भू.अ/2024/222 दिनांक 15.02.2024 द्वारा कुर्की रिपोर्ट तैयार की गयी है। ऐसी स्थिति में भविष्य में हस्तगत इजराय प्रार्थना पत्र के निस्तारण में पेचिदगिया व जटिलता उत्पन्न नहीं हो और उक्त इजराय याचिका का सुगम निस्तारण हो सके इसलिए उपरोक्त समग्र तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/मदयून संख्या 15 (सी) विक्रम शर्मा की ओर से प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार कर जिला कलेक्टर, जिला रजिस्ट्रार, डी.आई.जी स्टांप एवं उपपंजीयक–खैरथल, मुण्डावर, किशनगढबास व तिजारा को तहरीर जारी हो कि वे भविष्य में उक्त खसरा नंबरान की किसी भी आराजी का बयनामा पंजीबद्ध नहीं करे। इसी के साथ उपपंजीयक तिजारा से रिपोर्ट मंगवायी जावे कि खसरा नंबर 2337 वाके ग्राम चकनासराबाद तहसील खैरथल पर माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय, राजस्व मण्डल अजमेर व अन्य न्यायालय के स्थगन आदेश प्रभावी होने तथा माननीय कलकत्ता उच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश की पालना में इस न्यायालय में लंबित इजराय याचिका बउनवान माधवी बनाम विमल की कार्यवाही के दौरान अपने क्षेत्राधिकार से बाहर स्थित आराजी के उक्त तीनों बयनामें दिनांक 29.06.2026 को क्यो पंजीबद्ध किये गये ? पत्रावली वास्ते पेश होने रिपोर्ट/अग्रिम कार्यवाही दिनांक 03.09.2026 को पेश हो।	

न्यायालय – अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश संख्या 02 किशनगढबास
इजराय प्रार्थना पत्र संख्या 64/2018
माधवी बनाम विमल वगैरहा